

**भारत सरकार**  
**विदेश मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या - 3480**  
**दिनांक 21.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**विदेशों से लाए गए भारतीय नागरिकों के साथ व्यवहार**

3480. **श्री राजा राम सिंह:**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) द्वारा प्रत्यर्पण के दौरान वहां से लाए गए भारतीय नागरिकों को बेड़ियों में जकड़े जाने संबंधी रिपोर्टों का संज्ञान लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने वहां से लाए गए भारतीय नागरिकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के समक्ष कोई औपचारिक राजनयिक आपत्ति जताई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या वर्ष 2012 से प्रभावी विमान द्वारा निर्वासन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) में बेड़ियों के प्रयोग की अनुमति दी गई है, यदि हां, तो क्या भारत ने अपने नागरिकों के लिए कोई संशोधन मांगा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) क्या मंत्रालय को प्रत्यर्पण के दौरान दुर्व्यवहार के संबंध में विदेशों से लाए गए भारतीय नागरिकों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां, तो उन रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है तथा इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**  
**विदेश राज्य मंत्री**  
**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) से (घ) विदेश मंत्रालय निर्वासन के दौरान निर्वासितों के साथ मानवीय व्यवहार करने के संबंध में अमेरिकी पक्ष के साथ संपर्क में है। मंत्रालय ने 5 फरवरी 2025 को लौटे विमान में निर्वासितों के साथ किए गए व्यवहार, विशेष रूप से महिलाओं को बेड़ियां लगाने के संबंध में अमेरिकी प्राधिकारियों के समक्ष अपनी चिंताओं को दृढ़ता से उठाया है। नवंबर 2012 से प्रभावी, अमेरिकी मानक संचालन प्रक्रिया में निर्वासन को व्यवस्थित और निष्पादित करने के लिए निर्वासितों पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख किया गया है। अमेरिकी प्राधिकारियों ने अवगत कराया है कि मिशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं। हालांकि महिलाओं और नाबालिगों को सामान्यतः बेड़ियां नहीं लगाई जाती हैं, इस मामले में निर्वासन उड़ान के प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम होता है। अमेरिकी पक्ष ने पुष्टि की है कि 15 और 16 फरवरी 2025 को भारत आए निर्वासन विमानों में किसी भी महिला या बच्चे को बंधनों में नहीं जकड़ा गया था। भारत पहुंचने पर हमारी एजेंसियों द्वारा निर्वासितों से साक्षात्कार के बाद भी इसकी पुष्टि की गई और इसे दर्ज किया गया।

विदेश मंत्रालय ने निर्वासित लोगों की धार्मिक भावना और भोजन संबंधी प्राथमिकताओं पर विचार करने की आवश्यकता के बारे में भी अपनी चिंताएँ दर्ज कीं। अमेरिकी पक्ष ने विदेश मंत्रालय को अवगत कराया है कि तीन निर्वासन उड़ानों (जो क्रमशः 05, 15 और 16 फरवरी 2025 को आई हैं) में बंदियों को सिर ढकने के किसी भी धार्मिक वस्त्र को हटाने का निर्देश नहीं दिया गया था और बंदियों ने इन उड़ानों के दौरान शाकाहारी भोजन के अलावा अन्य कोई धार्मिक अनुरोध नहीं किया था।

\*\*\*\*\*